

अनुसूची-दो “क“
{ नियम 11(1) देखिये}

प्रारूप-एल एम-1

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बांट और माप के निर्माण के रूप में अनुजप्ति हेतु आवेदन का प्रारूप)

प्रति,

आवेदक द्वारा निरीक्षण अधिकारी
भरा जाए की टीप

(1)

(2)

(3)

- | | |
|--|-------|
| 1 संबंधित निर्माण का नाम जिसके लिए अनुजप्ति चाही गई है । | ----- |
| 2 संबंधित का पूर्ण पता । यदि परिसर स्वयं का है/किराये का है/पटटे पर लिया गया है/मंजूर अनुजप्ति, दस्तावेजों द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित हो । | ----- |
| 3 कार्यशाला/कारखाना की स्थापना दिनांक । | ----- |
| 4 स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दषा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता/पते उनके पिता/पति के नाम सहित । | ----- |
| 5 कारखाना/टुकान/स्थापना/नगरपालिक व्यवसाय अनुजप्ति का वर्तमान पंजीयन क्र. तथा दिनांक | ----- |
| 6 वर्तमान में निर्माण गतिविधि की प्रकृति । | ----- |
| 7 निर्माण हेतु प्रस्तावित बांट एवं माप का प्रकार, | ----- |

जैसे:

- | | | |
|------|---|-------|
| 1 | बांट | ----- |
| 2 | माप | ----- |
| 3 | तौल उपकरण | ----- |
| 4 | माप उपकरण, प्रत्येक मामले में विस्तार | ----- |
| सहित | | |
| 8 | नियमित व्यक्तियों/प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या | ----- |
| 1 | कुशल | ----- |
| 2 | अर्धकशल | ----- |
| 3 | अकुशल | ----- |
| 4 | कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षित | ----- |
| 9 | विनिर्मित किए जाने वाले बाट तथा माप में अंकित
किये जाने के लिए आशयित मोनोग्राम या ट्रेडमार्क | ----- |
| 10 | स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उप-साधन तथा
बाटों, माप आदि जो विनिर्माण के लिए उपयोग
में लाये जाते हैं, के ब्यौरे । | ----- |
| 11 | स्थापन/कार्यशाला हेतु उपलब्ध सुविधाओं का
विवरण चाहे स्वयं की स्वामित्व की हो, लंबी
अवधि की पटटे इत्यादि की हो । | ----- |
| 12 | ढलवे लोहे एवं आवश्यक पार्ट्स इत्यादि की
सुविधा तथा अन्य संसाधनों की सुविधाएं। | ----- |
| 13 | विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता । | ----- |
| 14 | शासन या वित्तीय संस्थानों से यदि ऋण लिया
गया हो तो उसका विवरण । | ----- |
| 15 | बैंकर्स का नाम, यदि कोई हो । | ----- |
| 16 | वैट/बिक्रीकर पंजीयन क्र./सी एस टी न./
व्यावसायिक कर पंजीयन क्र./आई.टी.क्र. | ----- |
| 17 | क्या आपने पूर्व में निर्माता अनुजप्ति हेतु आवेदन
किया था? यदि हां, तो कब और उसका क्या
परिणाम हुआ ? | ----- |
| 18 | (क) निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित माल क्या | ----- |

राज्य के भीतर या राज्य के बाहर या दोनों में
विक्रय किया जाएगा ।

(ख) भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित मांडल
का विवरण

(ग) आप अपने उत्पाद जिसके लिये अनुजप्ति
चाही गई है, के नमूने परीक्षण हेतु कब प्रस्तुत
कर सकते हैं ?

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राज्य विधिक
मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या
किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/ हैं ।

मैंने/हम अनुजप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर शासन द्वारा अनुसूचित अनुजप्ति तत्काल जमा करने
के लिए तैयार हूँ/हैं ।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम जान के अनुसार सत्य है ।

स्थान:

दिनांक

हस्ताक्षर एवं पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन प्राप्ति का दिनांक:

आवेदन का सं.क्र.

निरीक्षण दिनांक:

निरीक्षण अधिकारी की अनशंसा:

स्थान:

दिनांक:

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

अनुजप्ति प्राधिकारी का अंतिम आदेश

अनुजप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत:

अनुजप्ति क्र.:

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर तथा पदनाम

